न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 36/2017

प्रार्थीः–
शांतिलाल पुत्र खीमराज पटवा जाति जैन निवासी बूसी तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगणः–
1. सरपंच ग्राम पंचायत बूसी
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र खीमराज
3. सोहनलाल पुत्र खीमराज
4. हेमराज पुत्र खीमराज
5. पन्नालाल पुत्र खीमराज
6. मन्जु पत्नि भंवरलाल जाति जैन निवासीगण बूसी तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–27/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बूसी द्वारा मिसल संख्या 43/2010–11 संकल्प संख्या 4 दिनांक 12.11.2010 की पालना में जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का एक पट्टासुदा मकान ग्राम बूसी में आया हुआ स्थित है, जिसके पट्टा संख्या 169 मिसल संख्या 17/80–81 है। यह पट्टा दिनांक 01.08.1981 को जारी किया गया है। उक्त रहवासी मकान के उत्तर में मोहनलाल दसातरी का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा एवं पश्चिम में जोरसिंह व जयसिंह का मकान आया हुआ है। प्रार्थी के रहवासी मकान का क्षैत्रफल 1035 वर्गफुट का जारी किया गया था, जो बाद में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत 100 वर्गफिट का एक अतिरिक्त पट्टा इसी मकान के चिपते भूमि का लिया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने मिलावट करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2010 को ग्राम पंचायत बूसी में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। मौके पर प्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी का रहवास है एवं स्वामित्व है। ग्राम पंचायत ने आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क जमा नहीं किया एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर भी नही है। अप्रार्थीगण का मौके पर कोई आवासीय मकान नही है, वार्ड पंचों की कमेटी ने मात्र कब्जासुदा लिखा है, किन्तु मकान बना हुआ है या नही ? किन पडौसियों के बीच स्थित है, ऐसा दर्ज नही किया है। पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, वह विधि अनुसार चस्पा भी नही किया गया तथा पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही नया पट्टा जारी किया गया है,

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

जो गैर कानूनी है। जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत बूसी द्वारा मिसल संख्या 43/2010–11 संकल्प संख्या 4 दिनांक 12.11.2010 की पालना में जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक सोहनलाल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बूसी के समक्ष अपने कब्जासुदा मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि का पडौस आदि अंकित है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। मिसल में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव तथा सरपंच के हस्ताक्षर है। पंचायत की बैठक दिनांक 06.07.2010 में उक्त मिसल पेश हुई, जिस पर तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण करने के आदेश दिये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 05.08.2010 को नियम 148 (2) के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 12.11.2010 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर मिसल में निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी की है, जिस पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है तथा प्रार्थी के नाम पट्टा भी जारी हो रखा है, जिसके पट्टा संख्या 169 मिसल संख्या 17/80–81 है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में जो पडौस अंकित किये गये है, उन पडौस एवं जैर निगरानी पट्टे के पडौस को मिलान (compare) करने पर यह प्रमाणित होता है कि जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि का पट्टा पूर्व में ही जारी हो रखा है, जो खीमराज, शांतिलाल पुत्र पौत्र जेठमल पटवा के नाम जारी हो रखा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते नया पट्टा तब तक जारी नही किया जा सकता है, जब तक पूर्ववर्ती पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त अथवा Discradit नही कर दिया जावे। इस अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड की पूर्ण जांच किये बिना पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो पट्टा जारी किया गया है, वह खीमराज, शांतिलाल पुत्र पौत्र जेठमल पटवा के नाम जारी किया गया है, इसमें खीमराज का नाम अंकित है, जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 का पिता है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि पुश्तैनी थी। इस कारण पूर्व में जो पट्टा जारी किया गया है, उसे भी रेखांकित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 को इस रूप में निर्णित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, बूसी द्वारा मिसल संख्या 43/2010–11 संकल्प संख्या 4 दिनांक 12.11.2010 की पालना में जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 13.12.2010 तथा इसी भूमि पर पूर्व में मिसल संख्या 17/80–81 में ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 1 दिनांक 26.07.1981 की पालना में खीमराज, शांतिलाल पुत्र पौत्र जेठमल पटवा के नाम जारी पट्टा संख्या 169 को भी अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत बूसी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए

अति० जिला कलक्टर, पाली

नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली